स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्या:196, दिनांक 02—07—2024

अन्तर्राज्यीय स्तर पर संरक्षित प्रजाति के वन्यजीवों व उनके अंगों की तस्करी करने वाला तस्कर जनपद बस्ती से गिरफ्तार, प्रतिबंधित/संरक्षित प्रजाति के 505 अदद पक्षी (Chestnut muniya, Scaly-breasted) बरामद।

दिनांक 01.07.2024 को एस०टी०एफ०, उ०प्र० को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजाति के वन्यजीवों व उनके अंगो की तस्करी करने वाले गिरोह के तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से प्रतिबंधित/संरक्षित प्रजाति के 505 अदद पक्षी (Chestnut muniya, Scaly-breasted) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:—</u>

1— शहजाद पुत्र इकलाख, सा0 सैदगोरारी, पो0 खेतासराय, थाना खेतासराय, जिला जौनपुर।

<u>बरामदगी:—</u>

1—505 अदद पक्षी (Chestnut muniya, Scaly-breasted)।
2—03 अदद लोहे के पिंजरा।
3—01 अदद हीरो एच0एफ0 डीलक्स मोटर साइकिल (UP 62 CF 9406)।

<u>गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय:—</u>

रामजानकी मार्ग, रानीबगिया के पास, हर्रैया, जनपद बस्ती। दिनांक 01—07—2024, समय 07:58 सायं।

वन्य जीव अपराध नियन्त्रण ब्यूरो (WCCB), भारत सरकार की पहल पर एस0टी0एफ0 उ0प्र0 द्वारा पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में वन्यजीवों एवं संरक्षित प्रजाति के जीवों एवं उनके शारीरिक अंगों की तस्करी करने वाले गिरोहों के विरूद्ध वाइल्ड लाईफ संरक्षण हेतु अभिसूचना संकलन का कार्य एवं उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाता रहा है। इसी क्रम में श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन का कार्य किया जा रहा था। ज्ञात हुआ कि जनपद बस्ती में वन्यजीवों एवं संरक्षित प्रजाति के जीवों का अवैध व्यापार किया जा रहा है।

उप निरीक्षक श्री सौरभ मिश्रा के नेतृत्व में मु0आ0 संतोष सिंह, मु0आ0 अंजनी कुमार यादव, मु0आ0 राजकुमार शुक्ला, मुख्य आरक्षी नीरज सिंह व मु0आ0 रजनीश सिंह की एक टीम जनपद बस्ती पहुँचकर जमीनी सूचना एवं अन्य स्रोतों से अभिसूचना संकलन का कार्य कर रही थी, इस दौरान मुखबिर द्वारा ज्ञात हुआ कि राम जानकी मार्ग से प्रतिबंधित/संरक्षित प्रजाति के पक्षियों को अवैध व्यापार हेतु ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा श्री शारदा नंद तिवारी, क्षेत्रीय वन अधिकारी, हर्रैया रेंज, हर्रैया, जनपद बस्ती मय हमराहियान को साथ लेकर सूचना विकसित करते हुए दिनांक 01.07.2024 को समय लगभग 07:58 बजे सायं अभियुक्त उपरोक्त को रामजानकी मार्ग, रानीबगिया के पास, हर्रैया, जनपद बस्ती से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से 505

अदद पक्षी (Chestnut muniya, Scaly-breasted) एवं अन्य बरामदगी (उपरोक्तानुसार वर्णित) हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह बरामद प्रतिबन्धित पक्षियों को लेकर जनपद जौनपुर जा रहा था। प्रतिबन्धित पक्षियों की तस्करी का कार्य वह पिछले कई वर्षो से कर रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1977 की धारा 2, 16ख, 9, 39, 48, 49 बी, 50, 51, 52 क, 57 भारतीय वन अधिनियम के अनुसार कार्यवाही क्षेत्रीय वन अधिकारी, हर्रैया रेंज कार्यालय द्वारा की जा रही है।